समाहरणालय, कैमूर (भभुआ)

(निर्वाचन शाखा)

निविदा सूचना

आसन्न विधान सभा उप निर्वाचन, 2018 के क्रम में निर्वाचन कार्य में उपयोग की जाने वाली मतदान सामग्रियों यथा–लेखन सामग्री, टेन्ट–शामियाना, ध्वनि विस्तारक यंत्र इलेक्ट्रोनिक यंत्र इत्यादि आपूर्ति/क्रय करने के लिए दर निर्धारण हेतु अनुभवी, योग्य एवं इच्छुक फर्मो से द्विलिफाफा पद्धति के तहत दिनांक 19.01.2018 के अपराह्न 01:00 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती है। अलग–अलग प्रकार की सामग्रियों के लिए वित्तीय निविदा प्रपत्र क्रमशः आईटम नम्बर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एवं 8 तैयार किया गया है। प्रत्येक आईटम के निविदा विपत्र का मूल्य 500 रूपये निर्धारित है, जिसे दिनांक 18.01.2018 (गुरूवार) तक किसी भी कार्यदिवस को कार्यालय अविध में जिला निर्वाचन कार्यालय में नगद राशि जमाकर प्राप्त किया जा सकता है। सभी प्रकार की सामग्री/सेवा आपूर्ति के लिए निविदा दाता को जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में हीं वित्तीय निविदा प्रस्तुत करना होगा अन्यथा निविदा अमान्य हो जायेगी। प्राप्त निविदा दिनांक 19.01.2018 को ही अपराह्न 03:30 बजे जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी। निविदा खोले जाने के समय निविदादाता स्वयं या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है। निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी, कैमूर जिले के वेबसाईट www.kaimur.bih.nic.in पर देखी जा सकती है।

04/01/18

जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–
जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ)।

समाहरणालय, कैमूर (भभुआ)
(निर्वाचन शाखा)

फोटोयुक्त मतदाता सूची एवं मतदान फोटो पहचान पत्र निर्माण हेतु इच्छुक निविदाताओं के लिए तकनीकि एवं वित्तीय निविदा की शर्ते।

मूल्य — रू 500/— (निविदा पत्र सहित)

(क) निविदा की सामान्य शर्ते :—

1. तकनीकि एवं वित्तीय निविदा का लिफाफा अलग—अलग होना आवश्यक है। दोनो प्रकार के लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में मुहर बन्द करके जमा करना आवश्यक होगा।
2. तकनीकी निविदा के साथ संलग्न कागजातों को फर्म के प्रोपराइटर के द्वारा हस्ताक्षरित करते हुए सूचीबद्ध कर जमा करना होगा।
3. निविदा के साथ संलग्न किये जानेवाले कागजात निविदा जमा करते वक्त संलग्न रहना चाहिए। बाद में कागजात जमा करने संबंधी किसी प्रकार का अनुरोध मान्य नहीं होगा।
4. बगैर कोई कारण बताए निविदा रद्द करने, संशोधित करने एवं किसी भी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।
5. मुद्रण एवं कागज/रजिस्टर आदि क्रय हेतु सामग्री का नमूना निविदा के समय प्रस्तुत करना होगा।
6. आईटमवार निविदा अलग—अलग लिफाफे में देना होगा।
7. आपूर्ति आदेश के पश्चात् जिला निर्वाचन पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) के कार्यालय में अथवा कार्यस्थल पर निर्धारित तिथि तक सामग्री उपलब्ध कराना होगा, इसके लिए किसी प्रकार का मार्ग व्यय अलग से देय नहीं होगा।
8. वित्तीय या तकनीकी निविदा खुलने के उपरांत यदि अपूर्ण/वगैर हस्ताक्षर/वगैर मुहर के पाया जाता है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।
9. भुगतान की प्रक्रिया सामग्री/प्रपत्र की गुणवता के आधार पर की जायेगी।

(ख) तकनीकी निविदा की शर्ते :—

1. निविदादाता फर्म को Bihar Shop & Establishment Act एवं लघु उद्योग के अन्तर्गत निबंधित होने का प्रमाण पत्र देना होगा।
2. निविदादाता फर्म को सेवा कर (Service Tax) एवं GST में निबंधन प्रमाण—पत्र संलग्न करना अनिवार्य है ।
3. निविदादाता फर्म की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, इस हेतु फर्म को आयकर संख्या (PAN No.) के साथ पिछले तीन साल का आयकर रिटर्न (Return) संलग्न करना होगा।
4. निविदा के साथ प्रत्येक आईटम के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी—सह—जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) के पक्ष में 30,000.00 (तीस हजार) रूपये (आइटम नं0—4,5 एवं 6 के लिए सुरक्षित राशि मो0 10,000.00 रूपये) का राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट सुरक्षित राशि के रूप में जमा करना होगा।
5. आवंटित कार्य की Sub Contracting किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगी। इस आशय का शपथ—पत्र तकनिकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा। कार्य निष्पादन के क्रम में Sub Contracting पाये जाने पर कार्यादेश वापस लेते हुए जमा जमानत की राशि जब्त करते हुए फर्म पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
6. एकरारनामा के समय Bank Gaurantee डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में अग्रिम राशि (अनुबंध मूल्य का 2%) ली जायेगी।
7. निविदादाता की फर्म का किसी सरकारी/गैर सरकारी संस्था द्वार Black Listed नहीं होने का नोटरी द्वारा निर्गत अद्यतन शपथ—पत्र देना होगा।

(ग) वित्तीय निविदा की शर्तें :–

1. सर्वप्रथम तकनिकी निविदा खोला जायेगा। तकनिकी निविदा में सफल फर्मो का ही वित्तीय निविदा लिफाफा खोला जायेगा।
2. निविदा में अंकित सामग्रियों का दर सभी कर सहित अंकित करना होगा।
3. भुगतान की प्रक्रिया सामग्री/प्रपत्र की गुणवत्ता के आधार पर की जायेगी।
4. निर्धारित समय सीमा पर कार्य पूर्ण नहीं होने पर प्रति दिन विलम्ब के लिए 5000.00 (पॉच हजार रूपये) की कटौती की जाएगी तथा तीन दिनों से अधिक विलंब अथवा कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए जमा जमानत राशि जब्त कर फर्म को काली सूची में डाल दिया जायेगा।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–
जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ)।